इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic. in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 मार्च 2014—फाल्गुन 23, शक 1935

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 मार्च 2014

अधिसूचना क्र. भ.स.क.म.म.-2014-867.—मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक भ.सं.क.मं-1675, दिनांक 10 अक्टूबर 2012 [मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 4 (ग) दिनांक 12 अक्टूबर 2012 में प्रकाशित] एवं क्रमांक भ.सं.क.मं.-2013-165 दिनांक 18 जनवरी 2013 [मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 4 (ग) दिनांक 25 जनवरी 2013 में प्रकाशित] द्वारा ''मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कौशल प्रशिक्षण योजना, 2012 तथा संशोधन प्रकाशित किये जा चुके हैं, जिनमें निम्नलिखित

संशोधन किया जाता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त योजना के प्रावधानों में,—

1. कंडिका (ड़) की उप कंडिका (3) में पंक्ति ''अन्य आश्रित हिताधिकारियों को कौशल प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर सफल प्रशिक्षणार्थियों हेतु भारत सरकार से यदि प्रतिपूर्ति राशि प्राप्त होती है, तो उसका भुगतान संबंधित प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान द्वारा किया जायेगा.'' विलोपित की जाती है.

2. योजना की कंडिका (ड़) की उप कंडिका (4), प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान—में ''संबंधित प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान'' के स्थान पर शब्द ''राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा प्राधिकृत प्रशिक्षण पार्टनर (Authorised Training Partners अथवा ATP) व अन्य संबंधित प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान (व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदायकर्ता अर्थात् VTP को छोड़कर)'' स्थापित किया जाता है.

3. योजना की कंडिका (ड़) की उप कंडिका (4) के अनुच्छेद (ग) में पंक्ति ''(किन्तु 15@ प्रति घण्टे, प्रति उत्तीर्ण छात्र के मान से केन्द्र शासन से प्राप्त होने वाली राशि का समायोजन अगले प्रशिक्षण के भुगतान के पूर्व किया जाना अनिवार्य होगा)'' विलोपित की जाती है.

4. योजना की कंडिका (ड़) की उप कंडिका (4) के अनुच्छेद (ग) के बाद अनुच्छेद (घ) निम्नानुसार स्थापित किया जाता है :—

(घ) ''व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदायकर्ता (Vocational Training Providers अर्थात् VTP) संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्राप्त की जायेगी.''

5. योजना की कंडिका (ड़) की उप कंडिका (7) विलोपित की जाती है.

6. योजना की कंडिका (ड़) की कंडिका (9) के अनुच्छेद 9.2 में से शब्द ''एवं वित्तीय'' विलोपित किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2014

अधिसूचना क्र. मप्रभसककम-921-2014.—इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक भसंकमं-1081, दिनांक 27 सितम्बर 2013 को मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (नगरीय क्षेत्र) योजना, 2013 का प्रकाशन ''मध्यप्रदेश राजपत्र के भाग-4(ग) दिनांक 27 सितम्बर 2013 को पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है, जिनके पृष्ठ क्रमांक 584 एवं 585 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त प्रावधानों में,—

1. कंडिका-''3'' में प्रथम चरण में प्रदेश के 10 नगरीय निकायों—''ग्वालियर, सागर, रीवा, सिंगरौली, सतना, कटनी, खण्डवा, बुरहानपुर, देवास, रतलाम'' के स्थान पर ''ग्वालियर, सागर, रीवा, सिंगरौली, सतना, कटनी, खण्डवा, बुरहानपुर, देवास, रतलाम, भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं उज्जैन'' स्थापित किया जाता है.

2. कंडिका-''6'' के अनुक्रमांक (i) में ''परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक चयनित हितग्राही को रुपये 70 हजार'' के स्थान पर ''परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक चयनित हितग्राही को 1 लाख रुपये'' स्थापित किया जाता है.

अजय नेमा, सचिव.

जनसम्पर्क विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1/4 मार्च 2014

क्र. एफ 11-3-2007-जसं-चौबीस.—राज्य शासन विज्ञापन नियम 2007 में नवीन प्रावधानों को समाहित कर समाचार-पत्र / पत्रिकाओं, इलेक्ट्रानिक मीडिया, आदि के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू करता है.

विज्ञापन संबंधी नियम, 2007

कंडिका-1. जनसम्पर्क संचालनालय राज्य के समस्त शासकीय विभागों के लिए एकमात्र विज्ञापन एजेन्सी के रूप में कार्य करता है. सभी विभागों की ओर से नियतकालिक प्रकाशनों में वर्गीकृत विज्ञापन जारी करने के लिये भी संचालनालय ही अधिकृत है. निगम / निकायों के विज्ञापन भी संचालनालय के माध्यम से ही जारी करने के शासन के निर्देश है.

शासन द्वारा जारी किये गये किसी भी सामान्य या विशेष निर्देश के अध्यधीन प्रकरणों को छोड़कर कोई भी शासकीय विज्ञापन अनुमोदित सूची से भिन्न किसी समाचार-पत्र में और जनसम्पर्क संचालनालय से भिन्न किसी माध्यम से या सीधे प्रकाशनार्थ नहीं दिया जायेगा.

विज्ञापन सूची

कंडिका-2. शासकीय विज्ञापनों का मुख्य उद्देश्य समाचार एवं सामयिक सामग्री प्रकाशित करने वाले समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं, जनसंचार के अन्य माध्यमों और प्रकाशनों के माध्यम से लक्ष्य समूह में अधिकतम प्रचार सुनिश्चित करना है. विज्ञापन उपलब्धता, आवश्यकता और आवंटित बजट के अनुसार जारी किये जायेंगे.

विज्ञापन जारी करने के लिये राज्य से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार-पत्रों की एक अनुमोदित सूची तैयार की जाएगी. इस सूची में समाचार-पत्रों के चयन के लिये आयुक्त / संचालक, जनसम्पर्क द्वारा तीन अधिकारियों की एक समिति का गठन किया जायेगा.

ऐसे समाचार-पत्र जो एक से अधिक स्थानों से संस्करण प्रकाशित कर रहे हैं. किन्तु इनका मुद्रण एक ही स्थान पर होता है, को सूची में शामिल नहीं किया जायेगा. समाचार-पत्र का प्रकाशन स्थल पर ही मुद्रण होना आवश्यक है. वर्तमान में सूची में शामिल समाचार-पत्रों को इस व्यवस्था के लिये 6 माह का समय देकर विभाग समुचित निर्णय ले सकेगा.

कंडिका-3. विज्ञापन सूची में शामिल होने के लिये दैनिक समाचार-पत्रों के लिये न्यूनतम प्रसार संख्या दो हजार होना आवश्यक होगा.

कंडिका-4. विज्ञापन सूची में शामिल होने के लिये समाचार-पत्रों का एक वर्ष का नियमित प्रकाशन आवश्यक होगा.

कंडिका-5. समाचार-पत्र को प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट के प्रावधानों का पालन करना होगा. समाचार-पत्रों को भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक के यहां पंजीकृत होना चाहिए.

सूची में शामिल होने के लिये आवेदन

कंडिका-6. सूची में शामिल होने के लिये समाचार-पत्रों द्वारा नियमित प्रकाशन का एक वर्ष पूरे होने के बाद निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा. आवेदन करने वाले पत्र को न्यूनतम अवधि के सभी अंकों का प्रकाशन अनिवार्य होगा. संबंधित समिति की बैठक 6 माह में एक बार होगी.

समिति द्वारा विज्ञापन की अनुमोदित सूची में समाचार-पत्रों को शामिल करने के लिये स्वर, नीति, स्तर तथा नियमितता का भी परीक्षण किया जायेगा.

कंडिका-7. विज्ञापन सूची में शामिल होने के लिये दैनिक समाचार-पत्रों का आकार निम्नानुसार होगा :—

प्रकार	न्यूनतम आकार	न्यूनतम पृष्ठ संख्या
फुल साइज-	1520 वर्ग से.मी.	8 पृष्ठ
टेबुलाइड साइज-	925 वर्ग से.मी.	8 पृष्ठ

कंडिका-8. छह हजार तक प्रसार संख्या के लिये चार्टर्ड एकाउंटेन्ट का प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा. 6 हजार से अधिक प्रसार संख्या के लिये डी.ए.वी.पी. द्वारा मान्य प्रसार संख्या, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर का प्रसार संख्या का प्रमाण-पत्र अथवा ए.बी.सी. का प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा.

नियमितता

कंडिका-9. दैनिक समाचार-पत्र प्रकाशन लगातार 7 दिवस बन्द होने पर पत्रों को अनियमित माना जाकर उन्हें सूची से पृथक कर दिया जाएगा :—

यांत्रिकी गड़बड़ी, औद्योगिक विवाद अथवा दैवीय विपत्ति के फलस्वरूप किसी समाचार-पत्र का प्रकाशन बन्द होने पर उसे अनियमित नहीं माना जायेगा.

नियमित प्रकाशन के लिये दैनिक पत्रों के पिछले 12 महिनों के दौरान हर माह कम से कम 25 दिन समाचार-पत्रों का प्रकाशन आवश्यक होगा. इसे नियमितीकरण का आधार माना जायेगा.

स्तर

कंडिका-10. राज्य शासन के विज्ञापन सूची में समाचार-पत्रों को शामिल करने के लिए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जायेगा.

1. समाचार-पत्र के प्रत्येक अंक में सम्पादकीय का प्रकाशन होना चाहिए.
2. समाचार-पत्रों में समाचार,लेख एवं अन्य सामयिक सामग्री तथा विज्ञापन का स्टेन्डर्ड मान्य अनुपात में होना चाहिए तथा प्रकाशित सामग्री स्तरीय होना चाहिये सामान्यतः यह अनुपात 60 - 40 का होगा.
3. एक परिवार द्वारा एक भाषा में एक स्थान पर एक से अधिक नियतकालिक भिन्न नाम से प्रकाशित होने पर सामान्यतयः केवल एक प्रकाशन को राज्य शासन द्वारा दिये जाने वाले नियमित विज्ञापन की पात्रता होगी. एक परिवार के एक से अधिक पत्रों संबंधी प्रकरणों में जानकारी/शिकायत मिलने पर आयुक्त जनसम्पर्क द्वारा आवश्यक जांच कराकर गुणावगुण के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा. **एक ही परिवार तथा संस्था के एक से अधिक प्रकाशनों की स्थिति में किसी एक प्रकाशन को ही विज्ञापन के लिए मान्य किया जायेगा। परिवार से आशय पति-पत्नि, पुत्र तथा अविवाहित पुत्री अथवा विधवा एवं तलाकशुदा पुत्री जो पूर्णतः आश्रित हो शामिल होंगे. विषय-विशेष जैसे आर्थिक समाचार-पत्र के मामलों में गुण-दोष के आधार पर इसमें शिथिलता करने का अधिकार आयुक्त/संचालक को होगा.**
4. एक बार कम्पोज्ड मैटर का यथावत भिन्न नाम से समाचार-पत्रों के मुद्रण/प्रकाशन में उपयोग, आल्टर की श्रेणी में माना जायेगा। ऐसे समाचार-पत्रों को विज्ञापन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा.
5. सूची में शामिल किसी समाचार-पत्र द्वारा आल्टर की शिकायत प्रमाणित होने पर उस पत्र को सूची से निकाल दिया जाएगा. ऐसी जानकारी या शिकायत के प्राप्त होने पर 7 दिवस में कार्रवाई की जाना होगी. आल्टर के कारण सूची से निकाले जाने पर संबंधित पत्र के आल्टर किए गए अंको के लंबित देयक भी रदद माने जायेगे.
6. आल्ट्रेशन संबंधी प्रकरणों पर निर्णय लेने के लिए आयुक्त/संचालक जनसम्पर्क द्वारा तीन अधिकारियों की एक समिति गठित की जाएगी. ऐसे प्रकरणों में अपील पर निर्णय लेने का अधिकार सचिव, जनसम्पर्क का होगा.
7. आल्टर समाचार-पत्रों से संबंधित प्रेस में मुद्रित होने वाले अनुमोदित सूची के अन्य पत्रों पर भी यही कार्रवाई प्रस्तावित की जायेगी. इस संबंध में समाचार-पत्र का पक्ष सुनने के बाद अंतिम निर्णय आयुक्त/संचालक द्वारा लिया जायेगा. इस तरह के प्रकरणों में समान प्रेस में मुद्रण भविष्य में अनुमोदित सूची में रहने के लिये मान्य नहीं होगा.

कंडिका-11. अनैतिक एवं समाज विरोधी अपराधों (मॉरल टर्पोटयूट) के न्यायालय द्वारा दंडित लोगों द्वारा प्रकाशित/मुद्रित एवं सम्पादित समाचार-पत्रों को विज्ञापन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा. इसी प्रकार जिनके विरूद्ध न्यायालय में इस प्रकार के प्रकरण विचाराधीन होंगे, उन्हें भी सूची में शामिल नहीं किया जायेगा. सूची में शामिल हो चुके ऐसे किसी पत्र के संबंध में शिकायत/जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित व्यक्ति के संबंध में शपथ-पत्र प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की जायेगी. ऐसे समाचार पत्रों के विज्ञापन स्थगित या बंद किए जा सकेंगे. निर्धारित अवधि में शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर संबंधित पत्र को आयुक्त/संचालक जनसम्पर्क द्वारा सूची से पृथक कर दिया जाएगा.

कंडिका-12. साम्प्रदायिक अथवा सामाजिक विद्वेष फैलाने वाले समाचार-पत्रों को विज्ञापन सूची में नहीं रखा जायेगा. सूची में शामिल किसी पत्र के संबंध में इस प्रकार की शिकायत प्रमाणित होने पर आयुक्त/संचालक जनसम्पर्क द्वारा संबंधित पत्र को सूची से बाहर/निलंबित किया जा सकेगा. भारतीय प्रेस परिषद द्वारा किसी समाचार-पत्र के विरूद्ध उपरोक्त आधार पर निर्णय दिया जाता है तो संबंधित पत्र को विज्ञापन सूची से निकाल दिया जाएगा.

कंडिका-13. सूची में शामिल समाचार-पत्र को समाचार-पत्र के आकार पृष्ठ संख्या या घोषणा-पत्र में अन्य किसी परिवर्तन पर 7 दिन के भीतर इस संबंध में आयुक्त/संचालक जनसम्पर्क को सूचित करना होगा. अन्य स्त्रोतों से जानकारी/शिकायत प्राप्त होने पर समाचार-पत्र को अनुमोदित सूची से बाहर किया जा सकता है.

अनुमोदन कोई अधिकार नहीं देता

कंडिका-14. इस नीति में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी यदि किसी समाचार-पत्र को शासकीय विज्ञापनों के लिए अनुमोदित किया जाता है तो यही तथ्य शासकीय विज्ञापन प्राप्त करने के लिए उक्त सामाचार-पत्र को कोई अधिकार प्रदत्त नहीं कर देगा.

उपरोक्त के अलावा शासन द्वारा जारी समाचारों,वस्तुस्थिति प्रतिवाद आदि को स्थान न देने या विरूपित और पक्षपात पूर्ण तरीके से प्रकाशित करने की स्थिति में विज्ञापन सहयोग निलंबित या कम किया जा सकेगा.

अनुमोदित समाचार-पत्रों की सूची से नाम हटाना

कंडिका-15. यदि किसी समय यह प्रमाणित हो जाए कि किसी समाचार-पत्र द्वारा शासकीय विज्ञापन दिये जाने के लिये आवेदन करते समय दी गई सूचना मिथ्या थी अथवा ऐसे आवेदन के पश्चात इसमें लगातार सच्चाई नहीं रहती है या किसी समाचार-पत्र ने नियमों में विनिर्दिष्ट किन्हीं भी शर्तो का उल्लंघन किया है तो संचालनालय अनुमोदित समाचार-पत्रों की सूची से ऐसे समाचार-पत्रों का नाम ऐसी कलावधि के लिये जिसे वह उचित समझे हटा सकेगा.

कंडिका-16. किसी भी समाचार-पत्र को किसी भी कारण से एक बार विज्ञापन की अनुमोदित सूची से हटाये जाने पर उसे फिर से सूची में लेने के लिए एक वर्ष तक विचार नहीं किया जाएगा. एक वर्ष बाद आवेदन करने पर गुणदोष के आधार पर संचालनालय द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा.

विज्ञापनों की दरें

कंडिका-17. विज्ञापनों की दरें वे होगीं जो शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित या स्वीकृत की जायेंगी.

राज्य शासन द्वारा सभी समाचार-पत्रों को भारत सरकार के संस्थान डी.ए.वी.पी द्वारा स्वीकृत विज्ञापन दरों पर भुगतान की स्वीकृति दी गई है. जिन समाचार-पत्रों की डी.ए.वी.पी. दर नहीं होगी उसके लिए विज्ञापन की "राज्य दर" निर्धारित की जाएगी. **विज्ञापन की राज्य दर न्यूनतम 1520 वर्ग से.मी. प्रति पृष्ठ आकार के न्यूनतम 8 पृष्ठ और इससे अधिक पृष्ठ के दैनिक तथा 5 कालम x 37 से.मी. x 12 पृष्ठ के दैनिक समाचार-पत्रों के लिये 2 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग से.मी.होगी।.उससे छोटे आकार के पत्रों के लिये उनके कम आकार के अनुपात में राज्य दर कम कर निर्धारित की जायेंगी.**

किन्हीं भी नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी संचालनालय को अपने अधिकार सीमा में और शासन को किसी समाचार-पत्र, पत्रिका, नियतकालिक या अन्य किसी प्रकाशन को, जो चाहे राज्य के भीतर या राज्य के बाहर प्रकाशित होते हों, उन दरों पर जो उचित समझी जायें, कोई वर्गीकृत या सजावटी विज्ञापन देने की पूर्ण शक्तियाँ होगी.

परंतु राज्य से प्रकाशित अनुमोदित सूची के समाचार-पत्रों के लिए जो न्यूनतम 1520 वर्ग सेन्टीमीटर या उससे अधिक आकार में न्यूनतम 16 या अधिक पृष्ठ संख्या के साथ बहुरंगी प्रकाशन करते है और उनकी सःशुल्क प्रसार संख्या 50,000(पचास हजार) है तो ऐसे समाचार-पत्रों को विज्ञापनों की दस रूपये प्रतिवर्ग से.मी. की राज्य दर, दी जा सकेगी, इससे अधिक प्रत्येक दस हजार की प्रसार संख्या पर दो रूपये प्रति वर्ग से.मी. की दर वृद्धि मान्य की जायेगी. यह दर एक लाख बीस हजार की प्रसार संख्या तक ही सीमित होगी. ऐसे समाचार-पत्रों की प्रसार संख्या का सत्यापन कलेक्टर द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा. इसके साथ ही ऐसे प्रकाशन संस्थानों का स्वयं का मुद्रणालय होना भी आवश्यक होगा.

प्रदर्शन विज्ञापन वितरण

कंडिका-18. सरकारी विज्ञापनों का प्रयोजन योजनाओं का प्रचार-प्रसार होता है। फिर भी प्रसार संख्या, निरन्तर प्रकाशन की अवधि, कवरेज क्षेत्र और लक्ष्य समूह के दृष्टिगत विभिन्न श्रेणी के प्रकाशनों में संतुलन के उददेश्य से प्रदर्शन विज्ञापनों के बजट में इन मापदंडों का पालन किया जायेगा.

सामान्यतः लघु एवं मझौले समाचार-पत्रों को विभाग की प्रदर्शन विज्ञापन मद में प्राप्त बजट का 50 प्रतिशत सीमा तक विज्ञापन दिया जायेगा। इन मापदंडो से विचलन के मामले पूर्ण औचित्य के साथ राज्य शासन की जानकारी में लाये जायेंगें.

कंडिका-19. उपरोक्त मानदंड केवल प्रदर्शन विज्ञापनों के लिये आवंटित बजट के लिये है. वर्गीकृत विज्ञापनों के बजट पर यह लागू नहीं होगें. लघु और मध्यम श्रेणी के समाचार-पत्रों को कम वर्गीकृत विज्ञापन प्राप्त होने पर उन्हें निर्धारित सीमा के अन्तर्गत प्रदर्शन विज्ञापन दिये जा सकेंगें. .

समाचार-पत्रों का वर्गीकरण

कंडिका-20.विज्ञापन देने के प्रयोजन के लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित मानकों के अनुसार प्रदेश और प्रदेश से बाहर के पत्रों को राष्ट्रीय, राज्य, संभाग और जिला स्तरीय और बड़े, मझौले तथा लघु समाचार-पत्र के रूप से वर्गीकृत किया जा सकेगा.

कंडिका-21.समाचार-पत्रों की श्रेणियां –

1.लघु समाचार-पत्र	जिनकी अधिकतम दैनिक प्रसार संख्या 25 हजार तक हो.
2.मझौले समाचार-पत्र	पत्र जिनकी दैनिक प्रसार संख्या 25,001 से लेकर 75 हजार तक हो.
3.बड़े समाचार-पत्र	जिनकी प्रसार संख्या 75 हजार से अधिक हो.

वार्षिक पुनरीक्षण

कंडिका-22. राज्य शासन के विज्ञापन के लिये अनुमोदित सूची का प्रतिवर्ष पुनरीक्षण किया जाएगा. पुनरीक्षित सूची प्रतिवर्ष एक अप्रैल से लागू होगी. पुनरीक्षण के लिए प्रपत्र निर्धारित किया गया है. सामान्यतः समाचार-पत्रों से प्रपत्र में 15 फरवरी से 15 मार्च तक जानकारी प्राप्त की जाकर सूची का पुनरीक्षण होगा. आवश्कयता पड़ने पर संबंधित समाचार-पत्रों से डी.ए.वी.पी. को भेजे जाने वाली जानकारी भी प्रस्तुत करने को कहा जायेगा.

पुनरीक्षण से संबंधित तिथियों में आवश्यक होने पर आयुक्त/संचालक जनसम्पर्क द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा.सूची के वार्षिक पुनरीक्षण के लिये आयुक्त/संचालक जनसम्पर्क द्वारा जनसम्पर्क संचालनालय के तीन अधिकारियों की एक समिति गठित की जायेगी.

(2) प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 16 के अन्तर्गत सभी समाचार-पत्रों द्वारा भारतीय प्रेस परिषद को शुल्क देने का प्रावधान है. जनसम्पर्क संचालनालय मध्यप्रदेश को वार्षिक पुनरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार शुल्क देय होने का प्रमाण-पत्र समाचार-पत्रों द्वारा प्रस्तुत किया जाना वांछनीय होगा.

कंडिका-23.जनसम्पर्क संचालनालय द्वारा विज्ञापन सूची के वार्षिक पुनरीक्षण के समय सूची में शामिल कम से कम पांच प्रतिशत समाचार-पत्रों द्वारा दी गई जानकारी का भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए. यह परीक्षण इस संबंध में गठित होने वाले विशेष प्रकोष्ठ द्वारा किया जायेगा.

कंडिका-24. जो दैनिक समाचार-पत्र समाचार एजेंसी या पंजीकृत/मान्यता प्राप्त समाचार प्राप्त करने की आधुनिक संचार प्रणाली की सेवा नहीं लेते है. उन दैनिक पत्रों को विज्ञापन सूची से पृथक श्रेणी में रखा जाएगा. शेष सूची में शामिल समाचार-पत्रों को पृष्ठ संख्या और आकार के अनुसार श्रेणियों में रखा जायेगा. सूची में आने के बाद ऐसी सेवा न लेने पर वे स्वतः सूची से बाहर हो जायेंगे, वार्षिक पुनरीक्षण के समय इसका नियमितता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा. इस संदर्भ में वही समाचार एजेंसी मान्य होगी जिसके न्यूनतम बीस सशुल्क ग्राहक हो. इनमें से कम से कम आधे ग्राहक प्रदेश के होना चाहिये.

कंडिका-25.राज्य के बाहर के समाचार-पत्रों के ऐसे पत्रों की सूची आयुक्त/संचालक जनसम्पर्क की स्वीकृति से तैयार की जायेगी जिन्हें जनसम्पर्क संचालनालय द्वारा आवश्यकतानुसार विज्ञापन जारी किए जायेगें. सामान्यतः राज्य के बाहर के ऐसे समाचार-पत्रों को ही वर्गीकृत विज्ञापन जारी किए जायेंगे जो डी.ए.वी.पी. दर से विज्ञापन प्रकाशित करते हैं।

राज्य के बाहर के जिन केन्द्रों पर डी.ए.वी.पी. दर से विज्ञापन प्रकाशित करने वाले समाचार-पत्र नहीं होंगे अथवा किसी पत्र विशेष में विज्ञापन का प्रकाशन आवश्यक होगा. और जिन महत्वपूर्ण पत्रों में राज्य को कवरेज प्राप्त होता है, उनमें उन पत्रों की दर पर भी विज्ञापन प्रकाशित कराए जा सकेंगे.

कंडिका-26. विज्ञापन आदेश जारी होने की तिथि को लागू डी.ए.वी.पी./राज्य दर/अनुबंध दर भुगतान के लिये मान्य होगी। पूर्व के भुगतान की प्रक्रिया में आ चुके देयकों के पूरक देयक मान्य नहीं किये जायेंगे, यदि कोई समाचार-पत्र किसी विज्ञापनदाता को मान्य/स्वीकृत दर से कम दर पर विज्ञापन देता है तो ऐसी निम्नतर दर ही समस्त शासकीय विज्ञापनों पर लागू होगी.

कंडिका-27. (1) यदि संचालनालय द्वारा किसी विज्ञापन विशेष को समाचार-पत्र के किसी स्थान या पृष्ठ विशेष पर प्रकाशित करने के लिये कहा जाए तो समाचार-पत्र की उस समय प्रचलित दर संरचना के अनुसार अतिरिक्त प्रभार संदेय होगा.

(2) समाचार-पत्र के किसी भी संस्करण को जारी विज्ञापन, पत्र के सभी नगर एवं डाक संस्करणों में प्रकाशित करना अनिवार्य है. यह जानकारी मिलने पर कि जारी किया गया उक्त विज्ञापन सभी संस्करणों में प्रकाशित नहीं हुआ है.तो विज्ञापन देयक का भुगतान नहीं किया जाएगा अथवा वसूली की जायेगी. यदि समाचार-पत्र द्वारा जानबूझकर पुनरावृत्ति की जाती है तो संचालनालय को यह भी अधिकार होगा कि वे गुण-दोष के आधार पर उचित कार्रवाई कर सके.

विज्ञापनों के आकार का प्राक्कलन

कंडिका-28. आफसेट प्रिंटिंग प्रेस पर मुद्रित समाचार-पत्रों के लिये विज्ञापनों का आकार दस पाईंट आकार के अक्षर को आधार मानकर प्राक्कलित किया जायेगा.

2. अक्षर प्रेस पर मुद्रित समाचार-पत्रों के लिये 12 पाइंट को आधार माना जायेगा.

विज्ञापन देयकों का भुगतान

कंडिका-29. संचालनालय द्वारा विज्ञापन देयकों का भुगतान देयक प्रस्तुत करने पर सामान्यतः 60 दिन की अवधि में किया जायेगा. भुगतान विज्ञापन आदेश और संचालनालय द्वारा जारी की गई संसूचना के अनुसार विज्ञापन के प्रकाशन के सम्यक सत्यापन के पश्चात किया जायेगा.

साप्ताहिक समाचार-पत्रों एवं पत्रिकाओं को विज्ञापन

कंडिका-30.नियमित साप्ताहिक समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं विशेषकर लंबी अवधि से नियमित रूप से प्रकाशित हो रहे प्रकाशनों को अन्य पत्रों के समान विज्ञापन श्रेणीवार बजट-सीमा के अन्तर्गत दिये जायेंगे संचालक/आयुक्त निर्णय हेतु सक्षम होंगे.

अनुमोदित सूची से बाहर के 6 हजार से अधिक प्रसार-संख्या का दावा करने वाले पत्र-पत्रिकाओं से प्रसार क्षेत्र और अन्य जानकारियाँ, प्रमाण-पत्र/दस्तावेज, संचालनालय निर्धारित प्रपत्र पर प्राप्त करेगा। छह हजार तक की प्रसार संख्या वाले पत्र-पत्रिकाओं को जो डी.ए.वी.पी. की सूची में नहीं है, पांच हजार के औसत से अधिक राशि का विज्ञापन नहीं दिया जाएगा लेकिन विशेष अवसरों और विशेषांकों के लिये इससे अधिक राशि का विज्ञापन दिए जाने के अधिकार का उपयोग संचालक/आयुक्त कर सकेंगे, ऐसे पत्र-पत्रिकाओं को उनके आवेदनों पर वर्ष में 6 पृष्ठ से अधिक विज्ञापन नहीं दिए जाएंगे. पत्र-पत्रिकाओं की प्रसार संख्या 6 हजार से अधिक होने पर विज्ञापन दर का निर्धारण डी.ए.वी.पी. या पत्र-पत्रिका के स्तर और अवसर के महत्व को देखते हुए आयुक्त/संचालक या राज्य शासन द्वारा किया जायेगा.

सूची के बाहर के पत्र-पत्रिकाओं का आवश्यकता तथा उपयोगिता और बजट उपलब्धता के अनुसार विशेष अवसरों पर प्रदर्शन विज्ञापन दिया जा सकेगा.

प्रतिष्ठित पत्र समूहों द्वारा प्रकाशित नये दैनिकों को छोड़कर सामान्यतः प्रवेशांकों के लिए विज्ञापन नहीं दिये जा सकेंगे.

सूची से बाहर के समाचार-पत्र एवं पत्रिकाओं से वर्ष में केवल जनवरी, अप्रैल, अगस्त एवं नवंम्बर में ही प्रदर्शन विज्ञापन के लिए एक माह पूर्व से आवेदन प्राप्त किये जायेंगे शेष माहों में यह प्रक्रिया बंद रहेगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत पांच वर्ष या इससे अधिक अवधि से प्रकाशित पत्रिकाओं को वर्ष में चार बार अधिकतम 60 हजार के विज्ञापन दिये जा सकेंगे.

शेष प्रकार की नियमित पत्र-पत्रिकाओं को वर्ष में दो बार 15 अगस्त/26 जनवरी को ही विज्ञापन दिये जाने संबंधी आवेदन स्वीकार्य होंगे.

दस वर्ष या उससे अधिक समय से प्रकाशित स्तरीय पत्रिकाओं सहित साहित्यिक और विषय विशेष की पत्रिकाओं को दो माह में एक बार विज्ञापन दिया जा सकेगा.

ऐसी पत्र/पत्रिकाओं का श्रेणीकरण आयुक्त/संचालक जनसम्पर्क अथवा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी/समिति निर्धारित करेगी.

विषय विशेष एवं स्तरीय पत्रिकाओं के द्वारा विशेषांक के लिए किए गए आवेदनों पर वर्ष में केवल एक बार विशेष दर पर शासन स्वीकृति के उपरांत ही विज्ञापन दिया जा सकेगा। यह दर भी पत्रिका को मिल रही दर की दो गुना से अधिक नही होगी.

सूची से बाहर के सभी तरह के प्रकाशनों की यदि डीएवीपी दर है तब उन्हें डीएवीपी दर से पृथक किसी अन्य दर पर विज्ञापन नहीं दिये जायेंगे. उन्हें पूर्व से प्राप्त हो रही राशि के समान विज्ञापन डी.ए.वी.पी दर पर समायोजित किये जा सकेंगे।

सूची से बाहर के पत्र-पत्रिकाओं के लिए प्रदर्शन मद में प्राप्त बजट की 10 प्रतिशत राशि तक ही विज्ञापन दिये जा सकेंगे. तदापि इन प्रावधानों के बावजूद राज्य शासन अवसर विशेष पर इन प्रावधानों को शिथिल कर सकेगा। इस दायरे में स्तरीय दैनिक समाचार-पत्र भी आयेंगे।

कंडिका-31. साहित्यक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण विषय विशेष और महिलाओं/बच्चों से संबंधित प्रकाशनों के लिये वर्तमान में जारी प्रक्रिया के अनुसार संरक्षण दिया जायेगा,उपरोक्त के अलावा गुण-दोष के आधार पर जिन प्रकरणों में उचित समझा जाये उनमें विज्ञापन स्वीकृति का पूर्ण अधिकार शासन का होगा.

कंडिका-32. पत्र-पत्रिकाओं के मामलों में उचित मापदंडों के अनुसार प्रकाशन की पुष्टि की जाना चाहिए। उचित मानदंडों के अन्तर्गत अन्य बातों के अलावा ये भी शामिल है.

(क) अन्य पत्र-पत्रिकाओं से समाचार सामग्री अथवा लेखों की पुनरावृत्ति न हो. इसी प्रकार पत्र-पत्रिकाओं के अपने ही अन्य अंको से समाचार सामग्री और लेख इत्यादि न लिए गये हो. मुद्रित सामग्री तथा फोटोग्राफ सुपाठय, स्वच्छ व स्पष्ट हों.

(ख) पत्र-पत्रिकाओं में ऐसी टीका टिप्पणी और सामग्री न हो जो सार्वजनिक शालीनता और नैतिक मानदंडों के प्रतिकूल हो.भारतीय प्रेस परिषद द्वारा निर्धारित आचार

संहिता का उल्लंघन करने वाली सामग्री का प्रकाशन न होता हो.

(ग) एक ही व्यक्ति या उसके परिवार द्वारा एक ही स्थान से अलग प्रकार और अवधि का प्रकाशन होने पर एक ही प्रकाशन को विज्ञापन के लिये मान्य किया जायेगा.

उपरोक्त के अलावा शासन द्वारा जारी जनोपयोगी सूचनाओं,वस्तुस्थिति, प्रतिवाद आदि को नियमित रूप से स्थान न देने या विरूपित और पक्षपात पूर्ण तरीके से प्रकाशित करने की स्थिति में विज्ञापन सहयोग वापस या कम किया जा सकेगा. उच्च न्यायालय ने भी एल.आई.सी. विरूद्ध मनुभाई शाह मामले में प्रतिवाद के अधिकार को मान्यता दी है.

लघु पत्र-पत्रिकाओं को 15 प्रतिशत कटौती से छूट

कंडिका-33. लघु समाचार-पत्र पत्रिकाओं से संचालनालय द्वारा दिये जाने वाले प्रदर्शन और सजावटी वर्गीकृत विज्ञापनों के देयकों से 15 प्रतिशत की कटौती नहीं की जायेगी, साथ ही स्मारिकायें और बेवसाईटस भी इस कटौती से मुक्त रहेंगे, अन्य पत्रों के मामले में 15 प्रतिशत की कटौती की जाती रहेगी.

प्रदर्शन विज्ञापन सीमा

कंडिका-34. सूची में शामिल समाचार-पत्रों/संस्करणों को उनके आवेदन पर दो माह में एक बार से अधिक अतिरिक्त विज्ञापन स्वीकृत नहीं किया जायेगा.

सूची के पत्र को उसके आवेदन पर एक साल में 6 पृष्ठ से अधिक अतिरिक्त प्रदर्शन विज्ञापन नहीं दिया जायेगा. इससे अधिक पृष्ठ वाले मामलों में शासन स्वीकृति ली जायेगी .

सूची में शामिल दैनिक समाचार-पत्रों द्वारा विशेषांकों के लिए विशेष दर पर विज्ञापन दिये जाने की मांग की जाती है। किसी भी समाचार-पत्र को वर्ष में केवल एक बार विशेष दर पर विज्ञापन दिया जा सकेगा। यह दर भी डीएवीपी दर की दो गुना से अधिक नहीं होगी। समाचार-पत्रों के लिए स्मारिका के लिए विज्ञापन नहीं दिया जायेगा.

स्मारिकाओं के लिए प्रदर्शन विज्ञापन

कंडिका-35. समय-समय पर आवश्यकतानुसार स्मारिकाओं के लिए प्रदर्शन विज्ञापन जारी किये जाते है. इन विज्ञापनों के लिए स्मारिकाओं को न्यूनतम पृष्ठ संख्या ए4 साईज **के 24 पृष्ठ** आकार की होगी, इन स्मारिकाओं में संबंधित सामयिक सामग्री तथा विज्ञापन का आदर्श अनुपात होना चाहिए.

स्मारिकाओं को राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय तथा स्थानीय स्तर के अनुसार अधिकतम रुपये 25 हजार का विज्ञापन संचालनालय द्वारा दिया जा सकेगा.

विभिन्न संस्थाओं/संगठनों को स्मारिका के प्रकाशन हेतु प्रदर्शन विज्ञापन देने के लिए संस्था का गठन/पंजीयन 05 वर्ष पुराना होना आवश्यक है। इन प्रदर्शन विज्ञापनों पर कुल बजट का 5 प्रतिशत तक व्यय किया जा सकेगा। किसी एक संस्था को लक्ष्य समूह को देखते हुए अधिकतम रूपये एक लाख तक की सीमा में ही विज्ञापन दिया जा सकेगा। इस प्रावधान के बावजूद शासन को यह आधिकार होगा कि लक्ष्य समूह की आवश्यकता को देखते हुए इससे अधिक राशि की स्वीकृति औचित्य के आधार पर दे सके।

एक संस्था/मुद्रक/प्रकाशन सम्पादक को किसी वर्ष में स्मारिका के लिए एक बार से अधिक विज्ञापन स्वीकृति नहीं किये जायेंगे.

प्रसार संख्या का सत्यापन

कंडिका-36. जनसम्पर्क संचालनालय द्वारा अनुमोदित सूची के समाचार-पत्रों या विज्ञापन के लिए आवेदन करने वाले पत्र-पत्रिकाओं की प्रसार संख्या की जांच का अधिकार होगा, इसके लिए संचालनालय में एक विशेष प्रकोष्ठ बनाया जायेगा इसके अलावा इसके लिए जिला स्तरीय समितियों का गठन निम्नानुसार किया जायेगा .

1. कलेक्टर द्वारा नामांकित प्रथम श्रेणी के दो अधिकारी जिनमें से एक वाणिज्यिक कर विभाग का होगा.
2. जिला जनसम्पर्क कार्यालय के प्रभारी अधिकारी.
3. श्रम अधिकारी.

मुद्रणालय और मुद्रण क्षमता, कागज, स्याही और प्रकाशन में लगने वाले अन्य सामग्री खरीदी के देयक, बिजली के बिल अन्य संबद्ध कारको के आधार पर प्रसार संख्या का सत्यापन करेगी. यह सत्यापन आवश्यकता और शिकायत के आधार पर कराया जा सकेगा, इस समिति के निष्कर्षो से सहमत होने पर संबधित पत्र राज्य स्तरीय अपील समिति में अपना पक्ष रख सकेंगे, समिति सामान्यतः ए.बी.सी. (आडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन) द्वारा मान्य समाचार-पत्रों के प्रसार संख्या की जांच नहीं करेगी जब तक कि ऐसे प्रकरणों में जांच कराने का कोई तात्कालिक कारण/शिकायत न हो, अपील समिति निम्नानुसार होगी.

1. जनसम्पर्क विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव-अध्यक्ष .
2. आयुक्त/संचालक - सदस्य.
3. संचालनालय की विज्ञापन शाखा के - सदस्य/संयोजक प्रभारी अधिकारी.

इलेक्ट्रानिक मीडिया पर विज्ञापन

कंडिका-37. संचालनालय द्वारा इलेक्ट्रानिक मीडिया-टीवी चैनल्स,स्थानीय केवल टीवी और बेवसाईटस/न्यूज पोर्टल पर आवश्यकता और बजट उपलब्धता के दृष्टिगत

विज्ञापन दिये जा सकेंगे, विज्ञापन देते समय निम्न मापदंडों को अपनाया जायेगाः-

1. टीवी चैनल का अधिमान्य संस्था द्वारा दिया गया टी.आर.पी.प्रमाण-पत्र.
2. राज्य के मामले में प्रदेश के जिलों में चैनल के प्रसार वाले जिलों की संख्या और कवरेज क्षेत्र.
3. चैनल के राज्य में कार्यरत ब्यूरो कार्यालयों/ संवाददाताओं की संख्या, प्रसारण संसाधनों का ब्यौरा.
4. टी.वी.चैनल की मान्य डी.ए.वी.पी. दर.
5. स्थानीय केबल के मामले में प्रसार क्षेत्र और ग्राहक परिवारों की संख्या का प्रमाण, इसमें पे-चैनल्स को चुकाये जाने वाले शुल्क का प्रमाण भी शामिल है.
6. **सामान्यतया डीएवीपी द्वारा वेबसाईट/वेबपोर्टल के विज्ञापन के लिए निर्धारित प्रक्रिया, नियम, दिशा-निर्देश को लागू करते हुए जनसम्पर्क विभाग भी विज्ञापन जारी करेगा । राज्य शासन वेबसाइट/वेबपोर्टल के मापदंडों संबंधी दिशा-निर्देश समय-समय पर अलग सभी जारी कर सकेगा।**
7. **सूची या सूची के बाहर के दैनिक/साप्ताहिक/ मासिक समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं की बेवसाईटों को अलग से विज्ञापन नहीं दिया जायेगा.**
8. **जिन बेवसाईट को जनसम्पर्क विभाग द्वारा विज्ञापन जारी किये जायेंगे उन्हें शासन द्वारा जारी जनपयोगी सामग्री को स्थान देना वांछित होगा।**
9. **स्थानीय टीवी न्यूज चैनल के अलावा अवसर और बजट की उपलब्धता के दृष्टिगत राज्य से बाहर के चैनल को भी विज्ञापन दिये जा सकेंगे.**
10. **विज्ञापन सामान्यतः डीएवीपी दर पर दिये जायेंगे । प्रदेश भर में बहु प्रसारित ऐसे टीवी चैनल जिनकी डीएवीपी दर नहीं है उनकी दर प्रसार संख्या की अधिकृत रिपोर्ट के आधार पर राज्य शासन द्वारा निर्धारित की जायेगी यह दर डीएवीपी द्वारा प्रदेश के किसी चैनल के लिए निर्धारित न्यूनतम दर से किसी भी स्थिति में अधिक नहीं होगी। प्रति 10 सेकंड के मान से प्राइम टाइम और नान प्राइम टाइम के आधार पर दरें देय होंगी। ये दरें डीएवीपी द्वारा नेट दर पर आधारित होगी। कोई भी विज्ञापन उक्त दर से अधिक दर पर नहीं दिए जायेंगे.**
11. **सजीव प्रसारण राज्य शासन के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों/योजनाओं/निर्णयों आदि पर केन्द्रित न्यूज केप्सूल/विज्ञापन फिल्म के निर्माण एवं प्रसारण के लिए डीएवीपी से पृथक कोई अन्य दर नहीं दी जायेंगी.**
12. **टी.वी. चैनल्स में विज्ञापन आदि के प्रसारण की आवृत्ति कम-अधिक संबंधी सीमा का निर्धारण संचालनालय द्वारा किया जाएगा.**
13. अशासकीय, व्यवसायिक रेडियो और अव्यवसायिक प्रसारणों के लिये भी विज्ञापन, टी.वी. चैनल्स के समान मानदंडों के अनुसार दिये जा सकेंगें, सामुदायिक रेडियो के मामले में शासन इन नियमों को शिथिल कर सकेगा.

अनियतकालिकों को विज्ञापन

कंडिका-38. सामान्यतः नियतकालिक पत्र-पत्रिकाओं को प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 के प्रावधानों के तहत प्रकाशन होने पर विज्ञापन दिये जाते हैं, उपरोक्त के अलावा स्तर और महत्व को देखते हुये संचालनालय अनियतकालिक सामुदायिक अखबारों, पत्रिकाओं (कम्युनिटी न्यूजपेपर्स) ग्रामीण नेवरहुड पेपर्स, विशेष लक्ष्य समूह के लिये ब्रोशर्स और अन्य अनियतकालिकों के लिये विज्ञापन दे सकेगा। यह विज्ञापन संचालनालय को स्मारिका प्रकाशन के लिये दी जाने वाली अधिकतम राशि की सीमा में होंगे।

सरकारी विभागों द्वारा विज्ञापनों का दिया जाना

कंडिका-39. न्यायालयों से भिन्न, समस्त सरकारी विभाग,अनुमोदित समाचार-पत्रों में प्रकाशन के लिये अपने वर्गीकृत विज्ञापन, उन अनुमोदित समाचार-पत्रों के जिनमें उन्हें प्रकाशित किया जाना है, नाम का विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेख किये बिना विज्ञापन कार्यान्वयन के क्षेत्र का समान्यतः उल्लेख करते हुए उस तारीख के पर्याप्त समय पूर्व (न्यूनतम एक सप्ताह) जिस तक उन्हें प्रकाशित किया जाना अपेक्षित है, संचालनालय को भेजेंगें, निविदा आमंत्रित करने की सूचना के प्रकाशन की तारीख से निविदाएँ प्राप्त करने के लिए दिये जाने वाला न्यूनतम समय विभागों के दिशा निर्देशों के अनुसार होगा, फिर भी अल्पकालिक निविदाओं को छोड़कर यह समय न्यूनतम एक सप्ताह होना चाहिए,

(2) विज्ञापन प्राप्त होने के पश्चात उस विज्ञापन को संचालनालय में प्राप्त होने के सात दिन के भीतर (शासकीय अवकाशों को छोड़कर), समाचार-पत्रों को भेजा जायेगा निविदा भेजने वाले विभाग इसके लिए समय सीमा का ध्यान रखेगें.

(3)संचालनालय द्वारा प्राप्त किये गये समस्त विज्ञापन सामान्तः अनुमोदित समाचार-पत्रों को उसी रूप में दिये जायेंगे जिसमें वे प्राप्त हुये है. किन्तु संचालनालय बिना उददेश्य को प्रभावित किए बडे विज्ञापनों का आकार छोटा कर सकेगा.

(4) विभिन्न विभागों के कार्यालयों से प्राप्त विज्ञापन प्रकाशन की तिथि निर्धारित करने के पश्चात जनसम्पर्क संचालनालय द्वारा समाचार-पत्रों को जारी किये जाते हैं,

विज्ञापन भेजने वाले विभागों के संबंधित कार्यालयों को विज्ञापन क्रमांक जारी करने की तिथि एवं समाचार-पत्रों के नाम सूचित किये जाते हैं।

विज्ञापन भेजने वाले विभागों/कार्यालय का यह दायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि उनका विज्ञापन उन्हें दी गई जानकारी के समाचार-पत्रों के वांछित संस्करणों में प्रकाशित हो गया है और उससे विभाग/कार्यालय के वांछित उददेश्यों की पूर्ति हुई है. विज्ञापन प्रकाशन में शासन हित में या उददेश्य प्राप्ति में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर आवश्यकतानुसार विज्ञापन के पुनप्रकाशन की कार्रवाई विज्ञापन देने वाले शासकीय विभाग/कार्यालय द्वारा जनसम्पर्क संचालनालय के साथ समन्वय कर की जायेगी.

निगमों/अर्धशासकीय/स्वायत्तशासी संस्थानों के विज्ञापन

कंडिका-40.रोजगार निर्माण, मध्यप्रदेश संदेश और विभागीय वेबसाईटस के लिए शासकीय विभागों, निगम/निकायों और निजी संस्थाओं से समय-समय पर राज्य शासन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार विज्ञापन प्रकाशित/प्रसारित किये जा सकेंगे, तथापि उन विज्ञापनों का निषेध रहेगा जो धूमपान,मदिरा,सार्वजनिक शालीनता के मान्य मानदंडो के विपरीत हो या नियम-अधिनियमों द्वारा प्रतिबंधित हो.

कंडिका-41. राज्य शासन के समस्त विभागों के अन्तर्गत आने वाले निगम/निकायों संस्थाओं के विज्ञापन आकल्पन और जारी करने का कार्य जनसम्पर्क विभाग की सृजनात्मक संस्था मध्यप्रदेश माध्यम द्वारा किया जायेगा, यह विज्ञापन डी.ए.वी.पी./जनसम्पर्क विभाग द्वारा स्वीकृत अनुबंध दरों पर जारी होगें.

कंडिका-42. विज्ञापन प्राप्त करने वाले आवेदकों को प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867, केबल टीबी,नेटवर्क अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और अन्य संबंधित अधिनियम के उपबंधों का पालन किया जाना होगा. इसका उल्लंघन पाये जाने पर विज्ञापन नहीं दिये जायेंगे.

कंडिका-43 जनसम्पर्क संचालनालय विशेष एवं आकस्मिक परिस्थितियों के कारण और अवकश के दिनों में तत्काल विज्ञापन जारी करते हुए अगले कार्य दिवस में समाचार-पत्रों-जनसंचार माध्यमों को विज्ञापन आदेश जारी कर सकेगा। जारी किए गये ऐसे विज्ञापनो की एक लागबुक संधारण करने की व्यवस्था की जायेंगी.

कंडिका-44. इस नीति में उल्लेख किये गये नियमों के प्रांरभ के ठीक पूर्व से प्रवृत प्रभावशील अनुदेश इसके द्वारा निरसित किये जाते है. परंतु इस प्रकार निरसित नियमों और आदेशों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या कार्रवाई इस नीति के उपबंधों के अधीन की गई समझी जायेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश श्रीवास्तव, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.